अनुदान संख्या 14 – दूरसंचार विभाग
GRANT No. 14 - DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged-*					
पूरक	*Supplementary*			*78,82,00*	*78,82,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	33052,53,00		33052,54,00	24612,91,26	-8439,62,74
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					8600,88,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	5002,75,00		5753,76,00	4041,43,59	-1712,32,41
पूरक	Supplementary	751,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1151,91,24

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, अभ्यर्पित राशि (₹860088.00 लाख) ₹843962.74 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹860088.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹843962.74 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess + बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	51680.00	73635.40	79684.30	+6048.90
पु.	R.	21955.40			
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits		1167586.00	1199115.45	+31529.45
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	102600.00	..	..	..
पु.	R.	-102600.00			
मुख्य शीर्ष "3275" अन्य संचार सेवाएं	Major Head "3275" Other Communication Services				
मू.	O.	1982930.00	1203670.60	1182207.51	-21463.09
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-779260.40			

(I) ₹103101.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में अप्रयुक्त रहा:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "अन्य संचार सेवाएं – सेवा प्रदाताओं को सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए प्रतिपूर्ति – सेवा प्रदाताओं को सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए प्रतिपूर्ति" – ₹100000.00 लाख; और

(I) Provision of ₹103101.00 lakhs remained wholly unutilized in three cases under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Other Communication Services – Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation – Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" – ₹100000.00 lakhs; and

(ख) "अन्य व्यय – टेलीमेटिक्स विकास केंद्र" – ₹2600.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" – "अन्य व्यय – आईटीआई बैंगलौर" – ₹501.00 लाख – आईटीआई बैंगलौर को प्रतिपूर्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "संबद्ध कार्यालय – केंद्रीय निगरानी प्रणाली – परिचालन और अनुरक्षण" – ₹2040.79 की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) घरेलू यात्रा खर्चों, कार्यालय खर्चों, पेट्रोल ऑयल ल्यूब्रिकेंट, लघु निर्माण कार्य तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "परिवार पेंशन – परिवार पेंशन" – ₹7428.15 लाख की बचत (₹171740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "छुट्टी नकदीकरण लाभ – साधारण पेंशन" – ₹972.98 लाख की बचत (₹3371.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम दावों की प्राप्ति के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "3275" के अंतर्गत–बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "सेवा प्रदाताओं को सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए प्रतिपूर्ति – सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹416674.80

(b) "Other Expenditure – Centre for Development of Telematics" – ₹2600.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3275" - "Other Expenditure - ITI Bangalore" – ₹501.00 lakhs - due to non-requirement of funds towards compensation to ITI Bangalore.

(II) Under Major Head "3451" – "Attached Offices – Central Monitoring System - Operation and Maintenance" - saving of ₹2040.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards domestic travel expenses, office expenses, petrol oil lubricant, minor works and professional services.

(III) Under Major Head "2071" – "Civil" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Family Pensions – Family Pensions" – saving of ₹7428.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹171740.00 lakhs); and

(B) "Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions" - saving of ₹972.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3371.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims.

(IV) Under Major Head "3275" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation – Compensation to

लाख की बचत (₹857000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत नेट परियोजना, सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

Service Providers" – saving of ₹416674.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹857000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Bharat Net Project, Universal Service Obligation and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना –सेवा प्रदाताओं को सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए प्रतिपूर्ति" – ₹4503.20 लाख की बचत (₹43000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवा प्रदाताओं को जनजातीय क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए भुगतान के वास्ते कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" – saving of ₹4503.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards payment to service providers for universal service obligation in tribal areas.

(गा) "आरक्षित निधि को अंतरण – सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण" – ₹521178.00 लाख की बचत (₹1000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत नेट परियोजना, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण, आर्थिक सहायता/वित्तीय सहायता के लिए कम दावे प्राप्त होने पर कम निधियों की आवश्यकता होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(C) "Transfer to Reserve Fund – Transfer to Universal Service Obligation Fund" – saving of ₹521178.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Bharat Net Project, transfer to Universal Service Obligation Fund, receipt of less claims towards subsidy/financial support and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1293.27 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक थीं।

(V) Under three heads savings of ₹1293.27 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 38 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹141085.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि मुख्य शीर्ष "3275" – "अन्य व्यय – सरकार की इन्फ्रा परियोजनाओं के लिए पीएसयू को आर्थिक मदद" के अंतर्गत फरवरी, 2019 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹141085.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2019 under Major Head "3275" - "Other Expenditure - Subvention to PSUs for Infra projects of Government".

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "संबद्ध कार्यालय" –

(A) Major Head "3451" - "Attached Offices" -

(क) "निदेशालय" – ₹14916.70 लाख का अधिक व्यय (₹15908.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय खर्चों, लघु निर्माण कार्यों, व्यावसायिक सेवाओं, चिकित्सा उपचार तथा घरेलू यात्रा खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "सतर्कता दूरसंचार मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ" – ₹2104.09 लाख का अधिक व्यय (₹12000.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, घरेलू यात्रा खर्चों तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) "संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय" – ₹13451.34 लाख का अधिक व्यय (₹13700.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, विज्ञापन तथा प्रचार, चिकित्सा उपचार, घरेलू यात्रा खर्चों, कार्यालय खर्चों, किराया, दरों और करों तथा लघुनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" –

(क) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते – साधारण पेंशनें" – ₹4199.63 लाख का अधिक व्यय (₹706980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "पेंशनों का संराशिकृत मूल्य – साधारण पेंशनें" – ₹3506.90 लाख का अधिक व्यय (₹102070.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "उपदान – साधारण पेंशनें" – ₹32195.59 लाख का अधिक व्यय (₹182826.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(a) "Directorate" – excess of ₹14916.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15908.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards office expenses, minor works, professional services, medical treatment and domestic travel expenses.

(b) "Vigilance Telecom Monitoring Cells" – excess of ₹2104.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, domestic travel expenses and professional services.

(c) "Controller of Communication Accounts Offices" - excess of ₹13451.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13700.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, advertising and publicity, medical treatment, domestic travel expenses, office expenses, rent, rates and taxes and minor works.

(B) Major Head "2071" – "Civil" –

(a) "Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions" – excess of ₹4199.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹706980.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pensionary charges.

(b) "Commuted Value of Pensions – Ordinary Pensions" – excess of ₹3506.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹102070.00 lakhs); and

(c) "Gratuities – Ordinary Pensions" – excess of ₹32195.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹182826.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to receipt of more claims.

(गा) मुख्य शीर्ष "3275" – "अन्य व्यय – टेलीमेटिक्स विकास केंद्र" – ₹2600.00 लाख का अधिक व्यय (₹22200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(C) Major Head "3275" – "Other Expenditure - Centre for Development of Telematics" - excess of ₹2600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22200.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹171232.41 लाख) दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹75101.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹171232.41 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹75101.00 lakhs obtained in December, 2018 and February, 2019 and constituted 30 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	54500.00	..	..	..
पु.	R.	-54500.00			
मुख्य शीर्ष "4859"	Major Head "4859"				
दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries				
मू.	O.	10000.00	5500.00	5500.00	..
पु.	R.	-4500.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5275"	Major Head "5275"				
अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	435775.00			
पू.	S.	70001.00	454684.76	398643.59	-56041.17
पु.	R.	-51091.24			
मुख्य शीर्ष "7275"	Major Head "7275"				
अन्य संचार सेवाओं के लिए ऋण	Loans for Other Communication Services				
पू.	S.	5100.00	..	..	..
पु.	R.	-5100.00			

(I) ₹134700.00 लाख का प्रावधान (₹75100.00 लाख केपूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹134600.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹134700.00 lakhs (including supplementary grant of ₹75100.00 lakhs) remained wholly unutilized under five heads; of these ₹134600.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय – अन्य व्यय – रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" – ₹54500.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण।

(A) Major Head "4552" - "Capital Outlay on Other Communication Services – Other Expenditure – OFC based network for Defence Services" – ₹54500.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "5275" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – निदेशालय" – ₹5000.00 लाख – मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति न होने के कारण।

(B) Major Head "5275" –

(a) "Direction and Administration – Directorate" – ₹5000.00 lakhs – due to non- procurement of machinery and equipments.

(ख) "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – हेमीस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड में निवेश" – ₹70000.00 लाख का पूरक प्रावधान; और

(गा) मुख्य शीर्ष "7275" – "सार्वजनिक क्षेत्रों और अन्य उपक्रमों को कर्ज – हेमीस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड को कर्ज" – ₹5100.00 लाख का पूरक प्रावधान।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान इस स्कीम का आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को अंतरण हो जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4859" – "दूरसंचार – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – आईटीआई पुनरूद्धार (इक्विटी निवेश)" – के अंतर्गत ₹4500.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5275" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "अन्य संचार सुविधाएं" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹1871.65 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल स्कंध द्वारा कार्यालय भवन पूरा करने में देरी के कारण हुई।

(ख) "निगरानी सेवाएं" – ₹964.71 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी स्कीमों के लिए मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" – ₹12750.00 लाख की बचत (₹23500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(b) "Investment in Public Sector and Other Undertakings – Investment in Hemisphere Properties India Limited (HPIL)" – supplementary provision of ₹70000.00 lakhs; and

(C) Major Head "7275" – "Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loans to Hemisphere Properties India Limited (HPIL)" – supplementary provision of ₹5100.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to transfer of scheme to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

(II) Under Major Head "4859" – "Telecommunications – Investment in Public Sector and Other Undertakings – ITI Revival (Equity Investment)" – saving of ₹4500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "5275" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Communication Facilities" –

(a) "Office Building" - saving of ₹1871.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to delay in completion of office building by civil wing.

(b) "Monitoring Services" – saving of ₹964.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-procurement of machinery and equipments for technical schemes.

(B) "Tribal Area Sub-Plan – OFC based network for Defence Services" – saving of ₹12750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23500.00 lakhs)

वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "अन्य व्यय" –

(क) "वायरलैस सेट तथा उपस्कर" – ₹1347.34 लाख की बचत (₹1412.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई।

(ख) "संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान" – ₹9146.43 लाख की बचत (₹11115.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल स्कंध द्वारा प्रशिक्षण संस्थान के लिए कार्यालय भवन पूरा करने में देरी तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ग) "दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र" – ₹1122.00 लाख की बचत (₹2700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दूरसंचार परीक्षण केंद्रों के लिए कम मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(घ) "स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड" – ₹7520.79 लाख की बचत (₹13448.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति कम होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹59970.75 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5275" – "अन्य व्यय – रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2690.51 लाख था।

5. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधिः–

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की

was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Other Expenditure" –

(a) "Wireless Sets and Equipments" – saving of ₹1347.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1412.00 lakhs) was due to non-completion of tender process.

(b) "Training Institute for Communications Finance" – saving of ₹9146.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11115.00 lakhs) was due to delay in completion of office building for training institute by civil wing and non-receipt of bills from Central Public Works Department.

(c) "Telecom Testing and Security Certification Centre" – saving of ₹1122.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs) was due to procurement of less machinery and equipments for telecom testing centers.

(d) "Indigenous 5G Test Bed" – saving of ₹7520.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13448.00 lakhs) was due to procurement of less machinery and equipments.

4. The above savings were partly (₹59970.75 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "5275" – "Other Expenditure – OFC based network for Defence Services". Actual excess, however, was ₹2690.51 lakhs.

5. Telecom Regulatory Authority of India General Fund:-

The Telecom Regulatory Authority of India

स्थापना 28 मार्च, 1997 को बनाए गए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया था। ट्राई ने बेहतर गुणवत्ता और सामर्थ्य योग्य मूल्यों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिक स्पर्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। नई दूरसंचार नीति, 99 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना द्वारा प्रसारण और केबल सेवाएं भी ट्राई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ गई हैं। ट्राई के लिए अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

(TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 enacted on 28th March, 1997. The TRAI (Amendment) Act 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI has endeavored greater competition in telecom sector together with better quality and affordable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide notification of the Government dated 09th January, 2004, broadcasting and cable services have also come under the purview of TRAI. The Grants for TRAI is made by Central Government.

वर्ष 2018–19 की निधि का लेखा इस प्रकार था :–

The Account of the Fund for 2018-19 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	82,34,67
प्राप्तियां	Receipts	89,73,52
भुगतान	Payments	110,00,00
अंतशेष	Closing Balance	62,08,19

6. *विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि:–*

नई दूरसंचार नीति 99 (एनटीपी– 99) में सभी को सामर्थ्य योग्य और उपयुक्त मूल्यों पर मूल दूरसंचार सेवाओं की पहुंच के अंतर्गत लाने की परिकल्पना की गई है। विश्वव्यापी सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधन विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे जो कि आपरेटरों और विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित राजस्व का प्रतिशत होंगे। लाईसेंस शुल्क के संघटक के रूप में सेवा प्रदाताओं से विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के अंतर्गत संग्रहणों को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और विश्वव्यापी सेवादायित्व निधि को अंतरण के लिए निधियों का आवंटन बजट प्रक्रिया के अनुसार संसद के अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है।

6. *Universal Service Obligation Fund :-*

The New Telecom Policy, 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy (USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of License Fee (LF) are credited to the Consolidated Fund of India and allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliamentary approval as per budgetary procedure.

वर्ष 2018–19 की निधि का लेखा इस प्रकार था :– *The Account of the Fund for 2018-19 was as follows:-*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	..
प्राप्तियां	Receipts	4788,22,00
भुगतान	Payments	4788,22,00
अंतशेष	Closing Balance	..